

प्रान्तीकृत मेला नौचन्दी 2023 नगर निगम, मेरठ।

प्रेस-विज्ञप्ति

प्रांतीय मेला नौचन्दी वर्ष 2023 में दुकान लगाने के इच्छुक व्यक्ति/दुकानदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 03.04.2023 से दिनांक 15.04.2023 तक मेला परिसर की दुकानों का आवंटन किया जायेगा। इच्छुक दुकानदार निर्धारित प्रारूप व शपथ-पत्र पर आवेदन उक्त तिथियों में कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) में कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने पर ही दुकान आवंटित की जायेगी।

सहायक नगर आयुक्त
/प्रभारी किराया
नगर निगम, मेरठ।

कार्यालय नगर निगम, मेरठ।

संख्या:- 210 /किराया-नौचन्दी/2023

दिनांक:- 01/04/2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय मेरठ।
2. नगर आयुक्त महोदय।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)।
4. अपर नगर आयुक्त/नोडल अधिकारी मेला नौचन्दी।
5. समस्त सदस्य, दुकान आवंटन समिति।
6. प्रभारी जनसम्पर्क को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति रोस्टर अनुसार समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. प्रभारी कम्प्यूटर को नगर निगम, मेरठ की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

सहायक नगर आयुक्त
/प्रभारी किराया
नगर निगम, मेरठ।